न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – शक्तिसिंह भाटी, आर.ए.एस.)

न संख्या:– 13 / 2017 (प्रा0प0)
दिनांक:– 20 / 01 / 2017
दिनांक:– 30 / 05 / 2017
वित निर्णय दिनांक :– 06 / 01 / 2018

अनवान

1. जगदीश चन्द्र पिता रामा जाट निवासी जूणदा तहसील रेलमगरा
2. किशनलाल पिता रामा जाट निवासी जूणदा तहसील रेलमगरा
3. गंगाबाई पत्नि रामा जाट निवासी जूणदा तहसील रेलमगरा

प्रार्थीगण

बनाम

1. मगना पिता जालम जाट निवासी जूणदा तहसील रेलमगरा
2. कालु पिता हजारी जाट निवासी जूणदा तहसील रेलमगरा
3. भैरूलाल पिता हजारी जाट निवासी जूणदा तहसील रेलमगरा
4. कमलेश पिता हजारी जाट निवासी जूणदा तहसील रेलमगरा
5. सोहनी पत्नि हजारी जाट निवासी जूणदा तहसील रेलमगरा
6. शान्ति पिता हजारी पत्नि मांगीलाल जाट निवासी जूणदा हाल फियावड़ी तह. रेलमगरा
7. पुष्पा पिता हजारी पत्नि गणपत जाट निवासी जूणदा तहसील रेलमगरा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: : संशोधित निर्णय : : दिनांक – 16.01.2018

प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम जूणदा पटवार क्षैत्र जूणदा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द की सीमा में प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी संख्या 133 रकबा 0–09 बीघा भूमि स्थित है। प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजी संख्या 133 के दक्षिण दिशा में विपक्षीगण की आराजी संख्या 206 रकबा 16–18 बीघा स्थित होकर उक्त आराजी के पश्चिम दिशा में सटमा आम रास्ता स्थित होकर उक्त आराजी संख्या 214 होकर राजस्व रेकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज है। प्रार्थीगण अपनी आराजी संख्या 133 में आने–जाने, हल बेलगाड़ी, ट्रेक्टर इत्यादि लाने ले जाने एवं काश्त करने हेतु आराजी संख्या 214 बिलानाम रास्ता से विपक्षीगण की आराजी संख्या 206 जो आराजी संख्या 214 बिलानाम रास्ता के सटमा स्थित है विपक्षीगण की उक्त आराजी संख्या 206 की उत्तरी पाली के सहारे–सहारे अपनी आराजी संख्या 133 में प्रवेश करने हेतु उक्त रास्ते की प्रार्थीगण को आवश्यकता है। तथा उक्त रास्ते का उपयोग–उपभोग कर हल, बैल, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर आदि काश्त करने हेतु साधन सुविधा वर्षों से लाते ले जाते है जो अपने पूर्वजो के समय से ही उक्त कदीमि रास्ते का उपयोग–उपभोग निरन्तर निर्विघ्न रूप से साधिकापूर्वक करता चला आ रहा है।

कलक्टर
अधिकारी)

न उक्त आराजीयात विपक्षीगण के नाम पर दर्ज होने से एवं रास्ता रेकार्ड में दर्ज नहीं होने के ारण विपक्षीगण प्रार्थीगण को रास्ते के लिए परेशान करते है। आराजी संख्या 206 वर्तमान में क्षीगण के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने एवं कब्जे में होने से विपक्षीगण जबरन अपने बल के आधार पर प्रार्थीगण की उक्त कदीमि रास्ते का उपयोग–उपभोग में व्यवधान बाधा कावट कारित है तथा प्रार्थीगण को जबरन अपनी आराजी संख्या 133 के उपयोग–उपभोग में कृषि र्य करने में रास्ते में आने–जाने हेतु रूकावट बाधा कारित करते है तथा उक्त कदिमी रास्ते को द कर देते है तथा कहते है कि उक्त आराजीयात हमारे नाम पर है जिस कारण हम आपको उक्त स्ते से नही आने–जाने देंगे। जबकि प्रार्थीगण को अपनी उक्त आराजी संख्या 133 में आने–जाने तु उक्त कदीमि रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक एवं रेकार्डेड रास्ता मौके पर विद्यमान नहीं है था उक्त रास्ते की प्रार्थीगण को सख्त आवश्यकता है तथा प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात में ने–जाने हेतु उक्त रास्ता अपने निवास स्थान से निकटतम है एंव अन्य कोई वैकल्पिक अथवा कार्डेड़ रास्ता प्रार्थीगण को विपक्षीगण आये दिन रास्ते को लेकर परेशान करते है। जिस कारण र्थीगण को मजबूर होकर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड़ रहा है। प्रार्थीगण को अपने आराजी ख्या 133 में आने–जाने हल, बैल, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर लाने ले जाने हेतु भूमि के काश्त करने इत्यादि तु आराजी संख्या 206 की उत्तरी पाली पर 12 फीट चौड़ा एवं सम्पूर्ण लम्बाई प्रार्थीगण की आराजी ख्या 133 के प्रारम्भ तक के रास्ते की सख्त आवश्यकता है। जिस निमित प्रार्थीगण की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण को उक्त रास्ते की आवश्यकता अत्यन्त है तथा उक्त रास्ते के बिना प्रार्थीगण अपने खेत के उपयोग–उपभोग से वंचित हो रहे है। न्यायालय द्वारा रास्ते 12 फीट चौड़ाई एवं सम्पूर्ण लम्बाई के रास्ते की भूमि जो रास्ते के उपयोग में आयेगी उक्त मि का नियमानुसार प्रतिकर न्यायालय आप द्वारा विहित किया जायेगा उसको प्रार्थीगण तुरन्त अदा करने को तैयार एंव तत्पर है। उक्त कदीमि रास्ते को प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 3 में र्णित किया गया है उसे राजस्व रेकार्ड एवं नक्शाट्रेस में रास्ते के रूप में इन्द्राज कराया जाना न्याय हित में नितान्त आवश्यक है। जिस निमित प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र पेश है। विपक्षीगण प्रार्थीगण को लगातार रास्ते में बाधा कारित कर रहे है तथा आज से एक माह पूर्व प्रार्थीगण उक्त रास्ते में अपनी आराजी में ट्रेक्टर हांकने के लिये आने लगा तो विपक्षीगण ने उक्त रास्ते को बाड़ लगाकर बन्द कर देने से प्रार्थना पत्र का हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। आराजी संख्या 206 के खातेदार हजारी पिता जालम की मृत्यु हो जाने से उनके विधिक वारिसान् को विपक्षीगण बनाया गया है। प्राथीगण को रास्ता आनी आराजी संख्या 133 में हल, बैल, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर लाने ले जाने के लिये आराजी संख्या 206 की उत्तरी पाली पर 12 फीट चौड़ा व सम्पूर्ण लम्बाई में आराजी संख्या 133 के प्रारम्भ तक विपक्षीगण से दिलाया जाने का आदेश प्रदान कराया जावे। उक्त रास्ते की एवज में न्यायालय में न्यायालय द्वारा जो भी प्रतिकर नियमानुसार निश्चित किया जाता है वो प्रार्थीगण अदा करने को तैयार है तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रतिकर अदा करने के पश्चात उक्त रास्ते को राजस्व रेकार्ड एवं नक्शा ट्रेस में इन्द्राज कराया जावे।

इस पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया पत्रावली वास्ते विपक्षीगण के जवाब हेतु नियत थी। पत्रावली राजस्व न्याय आपके द्वार 2017 के राजस्व लोक अदालत/कोर्ट केम्प जूणदा पर रखी गई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी बावजूद सूचना के अनुपस्थित। पक्षकारान को सुना। प्रस्तुत पत्रावली का अवलोकन किया गया तहसीलदार रेलमगरा से वाद मौका रिपोर्ट ली गई, तहसीलदार रेलमगरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि आराजी नम्बर 933 रकबा 3–09 बीघा प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है एवं आराजी नम्बर 206

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

रकबा 16–18 बीघा मंगना हजारी पिता जालम जाट के नाम दर्ज रिकार्ड है। आराजी नम्बर 214 रकबा 1–17 बीघा किश्म रास्ता में होकर रास्ता वर्तमान में मौजुद है। आराजी नम्बर 119 रकबा 0–04 बीघा आ.चा. तक पहुंच हेतु आराजी नम्बर 143 रकबा 0–19 बीघा किश्म रास्ता नक्शें में अंकित है, किन्तु यह रास्ता खाता संख्या 397 में खातेदारी से दर्ज है। वर्तमान में मौके पर कोई रास्ता कायम नहीं है, न ही आने–जाने के निशान मौजुद है। आराजी नम्बर 119 से उत्तर की तरफ आराजी नम्बर 118 रकबा 0–17 बीघा में भी नक्शें में नोटेडनुमा दर्शा रखा है, जो जमान्दी में किश्म खड़ दर्शाया गया है। जहां मौके पर रास्ता मौजुद नहीं है। प्रार्थीगणों के द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विद्यमान नहीं है। उक्त तहसीलदार रेलमगरा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते की मौका रिपोर्ट अस्पष्ट होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार किया गया।

इस पर प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 01 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत करने पर प्रकरण में पूर्व रिपोर्ट अस्पष्ट होने से पटवारी हल्का जूणदा से पुनः मौका रिपोर्ट मंगवायी गयी। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 16.01.2018 को पुनः रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी कि प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतु मॉगा गया रास्ता नितान्त आवश्यक है। प्रार्थी के खेत पर आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक सरकारी रिकार्डेड रास्ता मौजूद नही है। प्रार्थी के खेत पर आने जाने के लिए निकटम छोटे से छोटा रास्ता आराजी संख्या 206 रकबा 16–18 बीघा खातेदारी मगना, हजारी पिता जालम जाट के खेत की उत्तरी पाली पर दिये जाने से अप्रार्थी को कम से कम असुविधा रहेगी। प्रस्तावित रास्ते की स्वीकृति करते समय वर्तमान में कोई फसल नही खडी है न ही किसी प्रकार का निर्माण किया हुआ है। वर्तमान में खाखरे के 04 बडे पेड एवं 05 छोटे पेड खडे है। वृक्षों की अनुमानित किमत लगभग 8000/– रूपये है। प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 462 फिट एवं चौडाई 13 फिट कुल 6006 वर्गफिट या 70X2 वर्ग गट्ठा = 140 वर्ग गट्ठा यानि 00–07 बीघा भूमि के लगभग भूमि प्रस्तावित होगी।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार की जाकर विपक्षीगण की खातेदारी भूमि ग्राम जूणदा के आराजी संख्या 206 के उत्तरी पाली से होता हुआ प्रार्थीगण के उपरोक्त आराजियात 133 के लिए पटवारी की रिपोर्ट अनुसार लम्बाई 70 गट्ठे (462 फिट), चौडाई 2 गट्ठे (13 फिट) है। कुल क्षैत्रफल 140 गट्ठे (6006 वर्गफिट) है जिसका रकबा 03–16 बीघा भूमि को राजस्व रेकार्ड में किस्म रास्ता बिलानाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उक्त रास्ते की भूमि की डी0एल0सी0 दर से दुगुनी राशि का एवं मौके पर स्थित खाखरे के 04 बडे पेड एवं 05 छोटे वृक्षों की राशि की अनुमानित राशि 8000/– रूपये का भुगतान विपक्षी को प्रार्थीगण से तहसीलदार रेलमगरा द्वारा किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 16/01/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शक्तिसिह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा